प्रतिवेदन

कार्य का नाम :– जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड स्याल्दे के अन्तर्गत देघाट–जौरासी मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ।

प्रस्तावना :– इस कार्य की स्वीकृति शासनादेश सं 289/111–(2)/08–47(प्रा0आ0)दिनांक 30..3.2008 द्वारा 15 किमी. लम्बाई में मार्ग निर्माण हेतु प्राप्त हुई है। उक्त मोटर मार्ग का निर्माण बसनाल गांव नामक स्थान से किया जाना प्रस्तावित है तथा मार्ग निर्माण का मुख्य लक्ष्य स्थानीय जनता को यातायात की सुविधा से जोड़ा, उनके द्वारा उत्पादित फल एवं सब्जियों को बाजार तक पहुॅचाना एवं क्षेत्र को विकास की ओर अग्रसर करना।

मार्ग के निर्माण हेतु दो स्थानों से प्रारम्भिक सर्वेक्षण किये गये जो इस प्रकार है :–

समरेखन न.–1 यह समरेखन भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर लाल रंग से दर्शाया गया है। यह मार्ग देघाट–खल्डुवा मोटर मार्ग के किमी 1 हेमी 2–4 प्रारम्भ होकर इस क्षेत्र के अभी तक मुख्य मार्ग से नहीं जुड़े हुए सभी ग्रामों को जोड़ता है। इस समरेखन में लागत एवं मार्ग की लम्बाई कम होने से स्थानीय जनता को अधिक लाभ मिलेगा। अतः इस समरेखन को स्वीकृत किया गया है।

समरेखन न.–2 यह समरेखन भारतीय सर्वेक्षण के मानचित्र पर नीले रंग से दर्शाया गया है। यह मार्ग देघाट–खल्डुवा मोटर मार्ग के किमी 1 हेमी 2–4 से प्रारम्भ होकर इस क्षेत्र के अभी तक मुख्य मार्ग से नहीं जुड़े हुए सभी ग्रामों को जोड़ता है। किन्तु इस समरेखन में अधिक लागत एवुं मार्ग की लम्बाई बढ़ने के कारण निरस्त कर दिया गया है।

उपरोक्त दोनों समरेखनों के गुणावगुण पर विचार के उपरान्त समरेखन नं.–1 जो मानचित्र पर लाल रंग से दर्शाया गया है, अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा द्वारा अनुमोदित कर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उद्देश्य :– इस मार्ग के बन जाने से प्रस्ताव में अंकित ग्राम लाभाविन्त होंगें एवं उक्त मार्ग के बन जाने से इस क्षेत्र की समुचित विकास हो सकेगा तथा ग्रामवासियों को यातयात कास्तकारों एवं अन्य दैनिक/सामाजिक जीवन का लाभ प्राप्त हो सकेगा।

संस्तुति :– इस प्रकार उक्त मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 15.000 किमी. एवं चौड़ाइ 9 मीटर में किया जाना अति आवश्यक है । इसके वन भूमि प्रस्ताव पूर्व में नोडल अधिकारी, देहरादून को प्रेषित किये गये थे। उनके द्वारा पुनः संशोधित प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिये गये थे। उसी आधार पर वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव 4.500 है0 वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गठित कर स्वीकृति हेतु भेजे जा रहे है।

कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत